बैंक से निकलते ही लोगो को लूटने वाला गिरफ्तार

-थाना हनुमंत विहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता
-थाना नौबस्ता, हनुमंत विहार और बिधनू में कर चुका लूट
-बैंक के अंदर खड़े होकर लोगों के ऊपर रखता था नजर
-जो ज्यादा पैसे लेकर निकलता उसके पीछे लग जाता था शातिर
-अधिकांश महिलाएं होती थीं शातिर लुटेरे के टारगेट पर

कानपुर: बैकों के अंदर से ही लोगों की रेकी करके बाहर निकलते ही उनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरे को थाना हनुमंत विहार पुलिस ने दबोच लिया है। शातिर लुटेरा लगातार अलग-अलग थाना क्षेत्रों में लूट की वारदातों को अंजाम देता था। पूछताछ में लुटेरे ने नौबस्ता, बिधनू और हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में लूट की वारदाते कबूल की हैं। पुलिस लूट की अन्य घटना के संबध में अभियुक्त से पूछताछ कर अग्रिम विधिक कारवाई कर रही है।
मंगलवार सुबह शिवाजी पुलिया के पास अण्डर पास से एक अभियुक्त मो0 सोहेल पुत्र मो0 रफीक निवासी 96 A पनकी कटरा थाना पनकी कानपुर नगर उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से लूट के कुल 53110/- रुपये व एक अदद मोवाइल फोन व एक अदद पासबुक व एक अदद लेडीज पर्स व घटना में प्रयुक्त एक अपाचे मोटर साइकिल सफेद रंग नं0- UP 78 CP 6897 चेचिस नं0 MD634KE66B2N77089 व एक अदद स्कूटी टीवीएस कम्पनी नं. UP 78 CU 8829 सफेद लाल रंग बरामद हुई।

इस प्रकार करता था वारदात-
अभियुक्त पैसे की आवश्यकता पड़ने पर अपने घर से दूर के क्षेत्रों में स्थित बैंकों में जाकर बैठता था और बैंक के अंदर पैसे का लेन-देन करने आने वाले बुजुर्गों एवं विशेषकर महिलाओं पर नजर रखता था, जब महिलाएं बैंक से पैसा निकाल कर अपने हैण्ड बैग में रखकर सड़क पर निकलती थीं तो यह अभियुक्त पीछे से मोटरसाइकिल से आकर अचानक झपट्टा मारकर बैग छीन लेता था और सीधे अपने घर चला जाता था। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह जरूरत के अतिरिक्त लूट का पैसा अपने बैंक खाते में जमा कर देता था और आवश्यकतानुसार धीरे-धीरे उसमें से निकाल कर खर्च करता था और उस पैसे से जुआ भी खेलता था। अभियुक्त अकेला ही घटनाओं को अंजाम देता था।

बरामदगीः- -मु.अ.स. 85/2022 धारा 392/411 भादवि0 थाना हनुमंत विहार कमिश्नरेट कानपुर से सम्बन्धित लूट के 45110/- रुपये व एक अदद मोवाइल व एक अदद पासबुक व एक अदद लेडीज पर्स।

-अभियुक्त के बैंक ऑफ इण्डिया खाता सं0- 733910110002869 में मु.अ.स. 85/2022 धारा 392/411 भादवि0 थाना हनुमंत विहार कमिश्नरेट कानपुर नगर से सम्बन्धित लूट के करीब 45000/- रुपये।

-मु.अ.स. 579/2022 धारा 392 भादवि0 थाना नौबस्ता कमिश्नरेट कानपुर से सम्बन्धित लूट के 4000/- रुपये।
-मु.अ.स. 289/2022 धारा 392 भादवि0 थाना बिधनू कानपुर आउटर से सम्बन्धित लूट के 4000/- रुपये।
-घटना मे प्रयुक्त एक अदद अपाचे मोटर साइकिल सफेद रंग नं0- UP 78 CP 6897 चेचिस नं0 MD634KE66B2N77089 व एक अदद सफेद लाल रंग स्कूटी टीवीएस कम्पनी नं. UP 78 CU 8829।
नाम पता अभियुक्त- मो0 सोहेल पुत्र मो0 रफीक निवासी 96 A पनकी कटरा थाना पनकी कानपुर नगर उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

-मु.अ.स. 85/2022 धारा 392/411 भादवि0 थाना हनुमंत विहार कमिश्नरेट कानपुर।

- मु.अ.स. 579/2022 धारा 392 भादवि0 थाना नौबस्ता कमिश्नरेट कानपुर।
- मु.अ.स. 289/2022 धारा 392 भादवि0 थाना बिधनू कानपुर आउटर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी अभिलाष मिश्रा, उ0नि0 सत्यपाल सिंह,उ0नि0 आशीष कुमार मिश्रा, उ0नि0 विनोद कुमार, उ0नि0 जयवीर सिंह उ0नि0 अशोक कुमार, उ0नि0 निशान्त कुमार राणा, हे0का0 राष्ट्रपाल सिंह, हे0का0 सुबीर कुमार, का0 अनुराग, का0 विशाल, का0 तेजपाल, का0 मंयक सर्विलांश ,व कांस्टेबल 1987 अक्षय सर्विलांस सेल शामिल रहे।